(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 560–पीबीआर/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–3–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 133/95–96/अपील.

शकील खां पुत्र सरदार खां
निवासी ग्राम मोहना
तहसील व जिला ग्वालियर ....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ....अनावेदक

श्री एन0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–3–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, घाटीगांव द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/93–94/अ–19 में दिनांक 4–10–94 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में किया गया । अपर कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा तहसील न्यायालय के व्यवस्थापन आदेश में अनियमितताएं पाते हुए उनका आदेश स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर प्रकरण क्रमांक 99/94–95/स्व.निग. दर्ज कर दिनांक 3–1–96

को आदेश पारित करते हुए तहसील न्यायालय का व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23—3—2005 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक अनपढ़ किसान है, और यदि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकिया में कोई त्रुटि की गई थी, तब उक्त त्रुटि के कारण आवेदक के पक्ष में किया गया व्यवस्थापन निरस्त नहीं किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अनेक वर्षो से कब्जा है, ऐसी स्थिति में किसी अन्य को प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य से सिद्ध किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की भूमियों के बीच में स्थित है, जिस पर अन्य किसी का आना—जान संभव नहीं है । उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये व्यवस्थापन निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिए उनके आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में विधिवत जांच कराई गई है, और जांच में यह पाया गया है कि आवेदक भूमिहीन कृषक नहीं है । अतः स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का किया गया व्यवस्थापन पूर्णतः नियम विरूद्ध है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर भूमि का व्यवस्थापन निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, और अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–3–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 561–पीबीआर/2005 (सरदार खां पुत्र पन्ने खां विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन) पर भी लागू होगा । अतः आदेश की प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर